

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-11736\2013)/अलेसे-III/ 3417

दिनांक:-27-5-24

आदेश संख्या 117 / 2024-25

विभागीय आदेश संख्या 69/2017-18 दिनांक 30.06.2017 द्वारा श्री मुकेश गर्ग, (लिंक नंबर-11736) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार समितियों, जोधपुर में किया गया था, जिसकी अनुपालना में श्री मुकेश गर्ग द्वारा दिनांक 08.11.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया था। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त भर्ती प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा-2021 उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु श्री मुकेश गर्ग को विभागीय पत्रांक 1362 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक-प.1(ए)(10)संस्था/आब/2024ई.एफ.-3504 /190 दिनांक 25.05.2024 के आधार पर श्री मुकेश गर्ग का आबकारी निरीक्षक-द्वितीय श्रेणी के पद पर चयन होने पर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद से कार्यमुक्त करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री मुकेश गर्ग नियमानुसार वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात ही नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर सकेंगे। श्री मुकेश गर्ग का सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद पर नियमानुसार पदाधिकार रहेगा।

श्री मुकेश गर्ग, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-11736\2013)/अलेसे-III/ 3417

दिनांक:-27-5-24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. आबकारी आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. श्री मुकेश गर्ग, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर।
7. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)